

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2019/  
प्रार्थीगण

2048

दिनांक - 30/8/19

बनाम

अप्रार्थीगण

1 जगदीश पुत्र सीताराम जाति माली निवासी मालियों की ढाणी (शिवकर) 2 निजामुद्दीन पुत्र हाजी फरीद जाति मुसलमान निवासी नेहरू नगर बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर।

1 नेनाराम 2 भूपाराम पिसरान मेघाराम जाति ढाढी 3 मोहनराम 4 रूगाराम पिसरान फताराम जाति प्रजापत 5 नगसिंह पुत्र खीमसिंह 6 देवीसिंह पुत्र कानसिंह जाति राजपूत 7 उदाराम 8 जेठाराम पिसरान मुल्तानाराम जाति सुथार 9 हुकमाराम 10 मंगलाराम पिसरान अलसाराम जाति ढाढी 11 निम्बाराम 12 तुलछाराम 13 बालाराम पिसरान रणछाराम जाति मेघवाल निवासी ढूँडा कवास तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या :- 719/2018

दिनांक- 26/8/19

## आदेश

उपर्युक्त प्रकरण मौजा ढूँडा पटवार क्षेत्र कवास तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 479 रकबा 0.04 बीघा, खसरा संख्या 480 रकबा 44.13 बीघा कुल रकबा 44.17 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(नीरज मिश्र)

उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर

दिनांक- 30/8/19

क्रमांक :- रीडर/2019/

2049-2051

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी कवास तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. जगदीश पुत्र सीताराम वगैराह जाति माली निवासी मालियों की ढाणी (शिवकर) तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी नेमाराम पुत्र मेघाराम वगैराह जाति ढाढी निवासी ढूँडा कवास तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर